न्यायालय श्री अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व अपील अधिकारी) बारां, जिला बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम देवपुरा भा.प्र.से.

प्रकरण संख्या : राअ/अ/ [illegible] / 2022

प्रस्तुत दिनांक : [illegible]

निर्णय दिनांक : 21.12.22

प्रार्थी :-

लकेराराम पुत्र श्री दुर्गाराम जाति जाखड़ निवासी

निवासी दुर्गा तहसील बारां

बनाम

अप्रार्थी :-

तहसीलदार बारां (भूमिधारी) तहसीलदार बारां

उपस्थित :-

1. श्री [illegible] अभिभाषक प्रार्थी की ओर से

2. श्री [illegible] शासन तहसीलदार पैरोकार सरकार की ओर से

:: आदेश :: दिनांक 21-12-22

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 पैरवी अप्रार्थी पटवार क्षेत्र पोली द्वारा धारा भूमिहीन तहसील बारां के आदेश की जो नहीं [illegible] भूमि खसरा नंबर 201, 202, 204, 205, 206, 208, 209, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 में दर्ज प्रार्थी का मुनिपुर्ण नाम **लकेराराम पुत्र दुर्गाराम** को दूसरी के भाकरम से बदली व **लकेराराम पुत्र दुर्गाराम** सुदृढ़ किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में तहसीलदार तथा को पूर्वि में दाखिल अभिलेखीय साक्ष्य शपथपत्र भूमि के लगानदारी की प्रति पेश की गई। पश्चात प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार बारां से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बारां ने साथ कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार सर्वेक्षण भूमि में प्रार्थी का मुनिपुर्ण नाम **लकेराराम पुत्र दुर्गाराम** दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा भारित लगानदार अंकार कार्ड, इन्डियन आईडिया, मतदाता पहचान पत्र व राशन कार्ड के अनुसार प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम **लकेराराम पुत्र दुर्गाराम** दर्ज होना स्वीकार किया तथा साथ मुनि नामान्तरकरण दर्ज करने संबंध होना स्वीकार करते हुये नामान्तरण रिकार्ड में दर्ज **प्रार्थी का मुनिपुर्ण नाम लकेराराम पुत्र दुर्गाराम** के स्थान पर **लकेराराम पुत्र दुर्गाराम** सुदृढ़ किये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार बारां की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुसार की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम **लकेराराम पुत्र दुर्गाराम** है जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा भारित लगानदार अंकार कार्ड, इन्डियन आईडिया, मतदाता पहचान पत्र व राशन कार्ड की प्रतियां पेश कर दी है। नामान्तरकरण दर्ज करते समय मुनिपुर्ण नाम **लकेराराम पुत्र दुर्गाराम** दर्ज है, जिससे रिकार्ड में दर्ज नाम को भी सुधार किये जाने की मांग की गई।

पश्चात में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन व अनुसार की बहस पर मेरे के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी भारत 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम मुनिपुर्ण तहसील बारां के भारित की जा रही खसरानंबरों भूमि खसरा नंबर 201, 202, 204, 205, 206, 208, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 में दर्ज प्रार्थी का मुनिपुर्ण नाम **लकेराराम पुत्र दुर्गाराम** को दूसरी के भाकरम से बदली व **लकेराराम पुत्र दुर्गाराम** सुदृढ़ किये जाने के आदेश दिये जाते है। रिकार्ड में दर्ज होने मुताबिक खातेदार तथा तथा अप्रार्थी तहसीलदार बारां व सरकारी इकरार, लिखितवाद की पालनार्थ कार्यवाही जाये। निर्णय नियम मुताबिक होकर अंदर से जारी हो।

(घनश्याम देवपुरा)
भा.प्र.से.
अति. अतिरिक्त अधिकारी
(रा.अ.अ.) बारां

आदेश आज दिनांक 21-12-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. अतिरिक्त अधिकारी
(रा.अ.अ.) बारां

Scanned with CamScanner